

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. रामदेव पुत्र टीकुराम जाति माली निवासी किसमीदेसर, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर। (मृतक)



- 1/1 पूनमचंद
1/2 रूपचंद
1/3 शिवरतन
1/4 माणकचंद
1/5 जेठाराम
1/6 बंशीलाल

पुत्रगण स्व. रामदेव माली निवासी किसमीदेसर, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर। (मृतक)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।
2. नगर विकास न्यास बीकानेर जरिये सचिव।

अपील संख्या-45/2010

GCMS No. 2010/00004

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15.07/2024	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। यह अपील राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-75 के अंतर्गत तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 519 दिनांक 12.12.2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौरान बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में वादगत भूमि ख.न. 1151/523 में 0.59 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1152/523 में 0.12 हैक्टेयर मृतक अपीलांट रामदेव पुत्र टीकुराम की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि को रेस्पो. सं. 2 नगर विकास न्यास बीकानेर ने सन् 1984 में अधिसूचना जारी कर व्यापार नगर आवासीय योजना हेतु अवाप्त करने की कार्यवाही की, किन्तु न तो मुआवजा राशि तय की और न ही मौके पर वास्तविक कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु तत्कालीन सक्षम अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर ने प्रकरणों में यह कहते हुए निर्णित किया कि "नगर सुधार अधिनियम की धारा 60 ए (3) के अनुसार अब इन प्रकरणों में कार्यवाही की जानी विधिसम्मत नहीं है, ना ही वैध है। इस प्रकार यह कार्यवाही स्वतः ही अवधारित हो जाती है। अतः कार्यवाही भूमि अवाप्ति अवधारित होना घोषित किया जाता है।" उक्त कार्यवाही के विरुद्ध नगर विकास न्यास बीकानेर ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष कार्यवाही की, जिस पर आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने एडीएम बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.12.1991 को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने चाराजोही की, जो माननीय</p>	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



उच्च न्यायालय में कार्यवाही विचारणार्थ जैरकार हैं। आदिनांक अवाप्ति व मुआवजे की कार्यवाही लंबित है। इस कालावधि में अपीलांट व उसके परिवार के लोगों ने आवासीय भूमि की आवश्यकता होने पर संपरिवर्तन की कार्यवाही नगर विकास न्यास के समक्ष की, जिस पर न्यास ने अपनी नोटशीट में मौके पर अपीलांट का कब्जा होना व किसी भी न्यायालय में विवाद विचाराधीन न हो ना स्वीकार किया है। न्यास द्वारा कृषि भूमि नियमन की अनुशंषा भी की जा चुकी है। तहसीलदार ने स्वयं एक पत्र जारी कर वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 519 दिनांक 12.12.2008 बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये इकतरफा तौर पर नगर विकास न्यास बीकानेर के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादगत भूमि पर आज भी अपीलांट का ही कब्जा है। अतः राजस्व रिकार्ड की पूर्व स्थिति कायम की जाकर खातेदार अपीलांट का नाम अंकित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को वादगत भूमि से संबंधित इंतकाल संख्या 519 दिनांक 12.12.2008 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल संख्या 519 अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये इकतरफा तौर पर दर्ज किया है। इसप्रकार उक्त इंतकाल विवादित नहीं होने से अपीलांट को न्यायालय हाजा में अपील पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन इंतकाल यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 519 दिनांक 12.12.2008 तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 17.09.2008 की पालना में दर्ज हुआ है, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अंतर्गत कन्टेस्टेड प्रकरण की श्रेणी में नहीं है। अतः अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/11/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर